राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, राजस्थान, जयपुर

क्र.सं.	अपील संख्या, अपीलार्थी का नाम एवं पदनाम	प्रत्यर्थीगण का नाम	प्रस्तुतिकरण की दिनांक	अपीलार्थीगण एवं प्रत्यर्थी विभाग की ओर से उपस्थित अभिभाषक/अधिवक्ता का नाम
1.	2918/2025 जयवीर सिंह पूनिया, प्रबोधक	राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख सचिव, शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर एवं अन्य।	27.05.2025	श्री जीतेन्द्र कुमार शर्मा, अभिभाषक
2.	2919/2025 आरती सविता, प्रबोधक	राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख सचिव, शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर एवं अन्य।	27.05.2025	श्री जीतेन्द्र कुमार शर्मा, अभिभाषक
3.	2920/2025 देवी प्रसाद, प्रबोधक	राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख सचिव, शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर एवं अन्य।	27.05.2025	श्री जीतेन्द्र कुमार शर्मा, अभिभाषक
4.	2921/2025 राजकुमार शर्मा, प्रबोधक	राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख सचिव, शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर एवं अन्य।	27.05.2025	श्री जीतेन्द्र कुमार शर्मा, अभिभाषक
5.	2922/2025 बहादुर सिंह प्रबोधक	राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख सचिव, शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर एवं अन्य।	27.05.2025	श्री जीतेन्द्र कुमार शर्मा, अभिभाषक

आदेश की दिनांक : 02.06.2025

समक्ष :– विकास सीतारामजी भाले, अध्यक्ष
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

उपर्युक्त तालिका में वर्णित समस्त अपीलों की तथ्यात्मक स्थिति समान प्रकार की है और इनमें निहित विधि का प्रश्न भी समान है। अतः इन समस्त अपीलों को इस एकल आदेश द्वारा निस्तारित किया जा रहा है। सुविधा की दृष्टि से अपील संख्या 2918/2025 जयवीर सिंह बनाम प्रमुख सचिव, शिक्षा विभाग, सचिवालय, जयपुर एवं अन्य के तथ्य विवेचित किये जा रहे हैं।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील में वर्णित आधारों को दोहराते हुए यह तर्क दिया है कि अपीलार्थी प्रथम नियुक्ति आदेश दिनांक 05.10.2010 (अनुलग्नक–1) द्वारा प्रबोधक के पद पर हुई तथा अपीलार्थी वर्तमान में प्रबोधक, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, मिलकन का पुरा पंचायत समिति धौलपुर, धौलपुर में कार्यरत है। आदेश दिनांक 01.01.2013 (अनुलग्नक–2) द्वारा अपीलार्थी को नियमित वेतन श्रृंखला दी गई।

अपीलार्थी के विद्धान अधिवक्ता वा आगे कथन है कि अपीलार्थी के समान कार्मिक को राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 01.10.2008 से वरिष्ठता एवं ए. सी.पी. का लाभ दिया गया है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 5405/2012 सुमन झंवर व अन्य बनाम राज्य सरकार में पारित निर्णय दिनांक 12.05.2014 में यह प्रतिपादित किया गया हैः–

"Therefore the present writ petitioners are disposed of with liberty and direction to the petitioners to file appropriate representation with relevant evidence before the appointing authority, who has issued the orders of appointment to the petitioners claiming the same rélief, as purportedly given to other similar situated person. It is expected to the respondent authority to pass speaking orders after providing the opportunity of hearing to the petitiohers or their authorized representative as to why similar benefit can't be exiended to them though other person have been given such benefits. If however, any adverse order is passed against the petitioners, the petitioners will be at liberty to avall the legal remedy available to them in accordance with law."

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आगे यह कथन है कि अपीलार्थी द्वारा माननीय अधिकरण में दायर अपील संख्या 36/2022 वीरपाल सिंह बनार्म राजस्थान राज्य एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 15.09.2021 द्वारा अपीलार्थी का प्रकरण समान तथ्यों पर आधारित है। जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक धौलपुर के आदेश दिनांक 23.07.2020 (अनुलग्नक–5) द्वारा समान प्रवृति के कार्मिकों को नोशनल, वरिष्ठता का लाभ एवं शेष अन्य समस्त परिलाभवास्तविक कार्यग्रहण तिथि से देय किये गये। माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय की अनुपालना में काल्पनिक वेतन स्थिरीकरण एवं वरिष्ठता लाभ दिनांक 01.10.2008 से ही 9, 18 एवं 27 चयनित वेतनमान/ए.सी.पी. देय है।

अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित किया जाये कि माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर एवं माननीय अधिकरण के निर्णयानुसार प्रबोधक भर्ती 2008 के अन्तर्गत कार्मिक को समस्त परिलाभ दिनांक 01.10.2008 से अपीलार्थी को दिये जावे।

हमने अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता को अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र पर सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

बहस के दौरान अपीलार्थीगण के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा अपील में वर्णित आधारों एवं अपीलार्थीगण द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विशाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए एवं अपीलार्थीगण के विद्वान् अधिवक्ता की सहमति को ध्यान में रखते हुए हम यह आदेश देना समीचीन समझते हैं कि अपीलार्थीगण आगामी दो सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी

को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी चार सप्ताह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थीगर्ण को दे। यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि अधिकरण अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन को किसी विशिष्ट तरीके से निस्तारित करने के संबंध में कोई आदेश नहीं दे रहा है।

अतः उक्त अपीले, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

मूल आदेश अपील संख्या 2918/2025 जयवीर सिंह बनाम प्रमुख सचिव, शिक्षा विभाग, सचिवालय, जयपुर एवं अन्य की पत्रावली में रखा जावे एवं इस आदेश के शीर्षक की तालिका में वर्णित अन्य पत्रावली में इस आदेश की प्रति संलग्न की जावे।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(विकास सीतारामजी भाले)
अध्यक्ष